Asian Journal of Multidisciplinary Studies

ISSN: 2321-8819 (Online)
2348-7186 (Print)
Impact Factor: 0.92
Volume 3, Issue 6, June 2015

भारत में महिला संपत्ति उत्तराधिकार के सन्दर्भ में राजनीतिक दलों की राजनीति

Jyoti Bharti
Research Scholar at
Delhi University (Department of Political Science)

भारत में महिलाओ के संपत्ति का क्षेत्र वृहतर है| जिसके अतर्गत कृषि भूमि,बांध परियोजना आदि कार्य के दौरान विस्थापन के पश्चात् सरकार से हासिल हुई भूमि, आदिवासी क्षेत्र से सम्बंधित वन भूमि तथा परिवार से उत्तराधिकार में प्राप्त जमीन आती है| यह सभी क्षेत्र महिलाओ के सम्पत्ति से जुड़े विस्तृत क्षेत्र है|

लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक दल ही राजनीतिक चेतना के केंद्र होते है और प्रत्येक राजनीतिक दल का लक्ष्य सत्ता प्राप्ति के लिए या सत्ता में बने रहने के लिए अन्य दलों समूहों, संगठनो व जनता पर प्रभावी होना होता है| राजनीतिक सत्ता प्राप्ति का उदेश्य ही एक ऐसा लक्षण है, जिससे राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत अन्य गुटों से राजनीतिक दलों में भेद किया जा सकता है| चुनाव के समय सभी राजनीतिक दल स्वयं को अन्य समूहों एवं राजनीतिक दलों से बेहतर साबित करने हेतु पृथक-पृथक सिधान्तों एवं नीतियों का प्रतिपादन कर, जनता के समक्ष एक स्वस्थ शासन दे सकने की क्षमता का प्रस्तुतीकरण करते है| चुनावोपरान्त विजयी दल को सत्ताधारी दल के रूप में एवं अन्य दलों को सजग प्रहरी की भांति सत्ताधारी दल को अधिनायकवादी होने से बचाने तथा शासन के संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना होता है| भारत के संदर्भ में बीते समय में विभिन्न राजनीतिक दलों ने देश की लगभग आधी जनता स्त्रियों को उनके आर्थिक पहलु महिला संपत्ति उत्तराधिकार के संबंध में अपने चुनाव घोषणा पत्र में लुभावने प्रलोभनों द्वारा बहलाने के कार्य किये है|

भारत में महिला सम्पत्ति उत्तराधिकार अधिनियम को स्त्री-पुरुष लैंगिक समानता के दायरे में लाने का एक लम्बे संघर्ष का इतिहास रहा है| भारतीय समाज में विभिन्न धर्मो के अपने निजी कानून है इन्ही कानूनों के अनुसार विभिन्न धार्मिक समुदायों के उत्तराधिकार निर्देशित होते है| अधिकतर रीति-रिवाजों पर आधारित कानूनों में महिलाओं का दर्जा पुरुषों के बराबर नहीं है| स्त्रियों के प्रति धार्मिक विभेदीकृत व्यवहार में उत्तराधिकार के सम्बन्ध में स्त्रिओं को बहुत मामूली अधिकार प्राप्त है| एक तरफ भारतीय संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों लैंगिक समानता व न्याय पर आधारित महिलाओं के समान अधिकार का प्रावधान करता है| दूसरी तरफ संविधान में 'धर्म-निरपेक्ष' व 'धार्मिक स्वतंत्रता' के प्रावधानों को भी रखता है| किन्तु सम्पत्ति उत्तराधिकार के संबंध में यह द्वन्द उत्पन्न हो जाता है की महिला सम्पत्ति उत्तराधिकार विभिन्न धार्मिक समुदायों से जुड़ा उनके निजी कानूनों के क्षेत्र का एक हिस्सा है और इस दायरे में सरकार भारतीय संवैधानिक धार्मिक प्रावधानों के तहत हस्तक्षेप नहीं कर सकती| कई अन्य नैधानिक जटिलताएं भी महिला सम्पत्ति उत्तराधिकार को और पेचीदा बना देती हैं. उदाहरण के लिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जम्मू- कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है| किन्तु कृषि भूमि पर उत्तराधिकार कानून लागू नहीं होता क्योकि यह तो राज्य

सरकार का मामला है| कृषि भूमि का स्वामित्व या किरायदारी, पट्टेदारी के बारे में अधिकांश राज्यों ने जो कानून बनाये है उनमें उत्तराधिकार की प्राथमिकता पुरुष वारिसों की ही दी गई है| पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में संपत्ति पुरुषों के हाथों में है| हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में कृषि और किराए की भूमि के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है| जिस कारण इन क्षेत्र से संबंधित स्त्रियों को संपत्ति से संबंधित अधिकारों से अपने समुदायों व निजी कानूनों के आधार पर लिंग समानता के विपरीत भेदभावों को झेलना पड़ता है| सरकार भी ऐसे केस में राज्य सरकार के क्षेत्र में अधिकार सौंप स्वयं को अलग कर लेती है| केरल और पश्चिम बंगाल कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ भूमि सुधार अपवाद है| कृषि भूमि पर उत्तराधिकार लागू नहीं होते जो इस कानून की सबसे बड़ी कमी है| कृषि भमि में उत्तराधिकार की व्यवस्था में राज्य कानून के अनुसार भूमि में अधिकारों की प्राथमिकता पुरुष वारिसों की है| घर के मुखिया (पुरुष) के गुजर जाने के पश्चात् उसकी भूमि पर उसकी विधवा पत्नी का हक़ होगा| किन्तु पंजाब,हरयाणा,उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश दिल्ली में विधवा स्त्रियों के संपत्ति अधिकार सीमित है| स्त्री की मृत्यु और पुनर्विवाह करने पर पुनः भूमि पुरुष सदस्यों के हाथों में चली जाती है|

स्वतंत्रता प्राप्ति संघर्ष के दौरान सबसे पहले महिलाओं ने दृन्ढ़तापूर्वक एक समान नागरिक संहिता की मांग की| एक समान नागरिक संहिता पर आधारित दो पहलु है- एक समुदायों के बीच एकरूपता हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई और अनुसूचित जनजातियां आदि सबके लिए एक कानून और दूसरा समुदायों के भीतर स्त्री और पुरुषों के बीच लैंगिक- न्याय पर आधारित एकरूपता| जिस स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटिश शासन के खिलाफ़ एकजुट होकर सभी स्त्री- पुरुषों ने भाग लिया था आजादी के पश्चात् भारत की महिलाओं को इस बात का इल्म भी न था की, आजाद भारत में उन्हें अपने राजनीतिक, सामाजिक, व आर्थिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा| विभिन्न राजनीतिक दलों ने बीते चुनावों में स्त्रियों से संबंधित महत्वपूर्ण संपत्ति उत्तराधिकार मुद्दों को अपने राजनीतिक हित को भुनाने के लिए अपने-अपने चुनावी घोषणा पत्र में निम्न दर्जे की आवश्यकता के रूप में रखा|

विभिन्न राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में एक समान नागरिक संहिता तथा महिला संपत्ति उत्तराधिकार से संबंधित मुद्दे-

- भारतीय जनसंघ ने 1951 के अपने चुनाव घोषणा-पत्र में कहा, 'हिन्दू कॉड बिल के संबंध में कोई भी दूरदर्शी परिवर्तन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक नियोजकगणों द्वारा जोरदार मांग एवं स्पष्ट जूरी का निर्णय न हो|
- अखिल भारतीय हिन्दू महासभा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा,'दल हिन्दू कॉड बिल विधायी लक्ष्य का विरोध करेगा|
- वहीं 1962 के चुनाव घोषणा पत्र में जनसंघ ने महिलाओं के सम्पत्ति में उत्तराधिकार को आगे बढ़ाने की बात रखी|
- भारतीय साम्यवादी दल ने 1962 में पैतृक सम्पत्ति में समान अधिकारों तथा अपने तृतीय सम्मलेन (1972) में जिसे नवें सम्मलेन की संज्ञा दी जाती है में उल्लेख किया महिलाएं जिन असमानताओं का शिकार है उनसे उनकों मुक्ति दिलाने संपत्ति के उत्तराधिकार, विवाह और तलाक के कानूनों को लागू करने में पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा स्थापित करना होगा|
- भारतीय जनता पार्टी 1980-81 के अपने चुनाव घोषणा पत्र में दल पैतृक संपत्ति एवं व्यक्तिगत संपत्ति के मामलों में खास मदद करेगा ऐसा विचार रखा| 1984 के चुनाव घोषणा पत्र में भी पत्नी को पति की सम्पत्ति तथा आय में भागीदारी की बात रखता है|

- 1996 में बी.जे.पी द्वारा अपने चुनाव घोषणा पत्र में अनुच्छेद 44 के आधार पर एक समान संहिता को लिंग समानता के आधार पर उचित ठराया| जिसके अंतर्गत समान संहिता हेतु संपत्ति के उत्तराधिकार की भी बात उठाई गई|

इन बीते चुनाव घोषणा पत्रों से यह साफ़ हो जाता है की पैतृक संपत्ति को पितृसत्तामक समाज में संपत्ति में महिलाओं को भाग देने से बहार रखा गया है| महिलाओं को गृह मजदूर के रूप में देखा जाता है| राजनीतिक दल भी अपने चुनावी लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए महिलाओं के हित की बात अवश्य करते हो, परन्तु वह अपनी धार्मिक पहचान को पीछे रख महिलाओं को अधिकार देने के हक़ में नहीं है| प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् भारत में ऐसे हिन्दू संगठन थे जो हिन्दू कट्टरपंथी विचारधारा पर अपनी कार्यप्रणाली बनाते थे| जिनमें औपनिवेशिक शासन काल के दौरान हिन्दू महासभा, ऑल इंडिया हिन्दू महासभा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, भारतीय जनसंघ ऐसे ही संघ है जो हिंदूत्ववादी विचारधारा पर विश्वास पर आधारित हिन्दू कॉड बिल को अस्तित्व में लाने के समर्थन में नहीं थे| हिन्दू महासभा तथा भारतीय जनसंघ इसके विरोधी थे| यह 1951 के अपने चुनाव घोषणा पत्र में निजी कानूनों का विरोध खुलकर कर रहे थे| 1967 में भारतीय जनसंघ राजनीतिक हित के चलते एक समान संहिता के हित में नज़र आ रही थी| भारतीय जनसंघ ने 1977 में कांग्रेस(आई) को चुनावी रण क्षेत्र में पीछे छोड़ दिया तथा भारतीय जनसंघ कांग्रेस पार्टी पर अपना दबदबा बनाये रखने के लिए एक समान नागरिक संहिता के लिए मंजूर हो गई| भारतीय जनसंघ 1967 के चुनावी घोषणा पत्र में भी निजी कानूनों विवाह, दत्तक और उत्तराधिकार कानूनों के पक्ष में थी| हिंदुत्व विचारों पर आधारित संगठनों के विचार चुनावी राजनीति के कारण बिखरे हुए से नज़र आ रहे थे वास्तव में वह किसी भी सुधार के पक्ष में नहीं थे| भाजपा की कार्यप्रणाली हिंदुत्व के मनसूबों को पूरा करने के लिए कांग्रेस को केंद्र सरकार के दर्जे से हटाकर अपना स्थान प्राप्त करना चाहती थी| धर्मनिरपेक्षता और आधुनिकीकरण को औजार बनाकर भाजपा धार्मिक भेदभाव की भावना को अंजाम दे सकती है| भाजपा नेताओं ने समान नागरिक संहिता संबंधी अपना जो वक्तव्य प्रस्तुत किया, वास्तव में वह उनकी दिली ख्वाहिश न होकर उनके राजनीतिक लक्ष्य की इच्छा है| भाजपा ने अपने हितों की पूर्ती हेतु एक समान नागरिक संहिता को अपने चुनाव अभियान का प्रमुख विषय बना रखा था| भाजपा नेता द्वारा 15 जुलाई 1995 को राष्ट्रीय कार्यकारणी की बैठक के बाद पत्रकार सम्मेलन में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, "यह हिन्दू कानून को गैर-हिन्दुओं पर थोपने की बात नहीं है हम ऐसा नया कानून बनाने की बात कर रहे है जो सभी समुदायों पर समान रूप से लागू हो|" अटल बिहारी वाजपेई के अनुसार उनकी पार्टी एक समान संहिता के सवाल को महिला मुक्ति और नारी- पुरुष समानता के दृष्टिकोण से देख रही है| भाजपा प्रस्ताव में मुस्लिम व ईसाई महिलाओं के साथ-साथ हिन्दू औरत के विवाह पश्चात संपत्ति हक़ की बात की गई| हिन्दू स्त्री अपने पैतृक घर में साझीदार बनकर तो रह सकती है किन्तु बंटवारे की बात नहीं कर सकती| भाजपा दल ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कांग्रेस सरकार के वचर्स्व को कमज़ोर करने और उसे राजनीतिक सत्ता से हटाने के लिए जो दांव-पेंच खेले जिसके अंतर्गत स्त्री संपत्ति उत्तराधिकार को इस षड्यंत्र का मोहरा बनाकर प्रस्तुत किया गया| वास्तव में पुरुष समाज और हिंदुत्ववादी मूल्यों द्वारा संचालित भाजपा निजी कानून में हस्तक्षेप को समाप्त करने के पक्ष में नहीं थी| हिन्दू महासभा तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने के समर्थक रहे है| ब्रिटिशों के खिलाफ़ स्वतंत्रता आन्दोलनों के समय भी दोनों राजनीतिक संस्थाओं ने अपने आपकों स्वतंत्रता के लिए चलाए जा रहे संघर्षों से अपने आपकों पृथक रखा| एक तरफ़ पश्चिमी राष्ट्र एकता से प्रभावित नेहरु समान संहिता का समर्थन अल्पसंख्यकों के निजी कानूनों और भावनाओं को बनाये रखने के लिए कर रहे थे| दूसरी तरफ़

भारतीय राष्ट्रवादी भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाना चाहते थे इसी आधार पर वह हिंदुत्ववाद विचारधारा का समर्थन कर रहे थे| राष्ट्रवादी अल्पसंख्यकों को धार्मिक कानूनों के विषय को हिन्दू सिविल कॉड के अनुसार ही रखना चाहते थे|

'राष्ट्र सेविका समिति' हिन्दू महिला संगठन आर.एस.एस के विचारों से प्रभावित इसका निर्माण 1936 में हुआ| भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्षा मृदुला सिन्हा अप्रैल 1994 डेली टेलेग्राफ़ सावी से एक इंटरव्यू के दौरान कहती है, "जब तक स्त्री का परिवार आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर न हो तब तक उन्हें नौकरी करने के लिए घर से बहार नहीं जाना चाहिए|" इस इंटरव्यू में वह दहेज लेने व देने के समर्थन के साथ ही लिंग समानता के विरोध में अपने विचार दिए| भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता विजयराजे सिंधिया ने सती विरोधी कानून के खिलाफ मार्च का नेतृत्व किया| हिंदी साप्ताहिक धर्मयुग के साथ 1990 में एक इंटरव्यू में अटल बिहारी वाजपई ने कहा था कि "जो स्त्री पुरुषों की तरह बनना चाहती है वे उपहास की पात्र है| उत्तर-औपनिवेशिक शासनकाल में सरकार ने निजी कानूनों में एक समान संहिता के अंतर्गत निर्माण कार्य में कोई विशेष प्रयास राजनीतिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए नहीं किया| चुनावी रणनीतियों का निर्माण नेतागण विभिन्न धर्मों में तुष्टिकरण नीति को धार्मिक निजी कानून को संरक्षण प्राप्त कराके करते है| राष्ट्रीय नेताओं ने औपनिवेशिक शासन के समान ही यहां बाटों और राज करो की की नीति के अनुसार कार्य किया है|

महिला संपत्ति उत्तराधिकार का मुद्दा धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रावधानों तथा लैंगिक न्याय के बीच तनाव की स्तिथि में बना हुआ है| एक, उत्तराधिकार अधिनियम 1956 महिलाओं के लिए एक समान संहिता अधिनियम न बन सका और यह केवल हिन्दू महिलाओं के हित में पारित हो गया| दूसरा, हिन्दू सम्प्रदाय के भीतर यह लैंगिक समानता पर आधारित नहीं था| स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए उत्तराधिकार अधिनियम ने दोनों ही आधारों समुदायों के बीच तथा समुदायों के भीतर समान आधार प्राप्त करने में असमर्थ रहा है| आज भारत पश्चिमी मूल्यों पर आधारित विश्व के एक बड़े लोकतंत्र को चलाने का दम भरता है| क्या इस बड़े लोकतंत्र में शामिल समानता के मूल्यों में स्त्रियों के एक समान उत्तराधिकार विभिन्न धार्मिक समुदायों और अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित महिलाओं के क्षेत्र में ही बंट कर रह गए है? लोकतंत्र में एक खास मूल्य धार्मिक स्वतंत्रता जिसमें केवल पुरुषों को स्त्रियों को नियंत्रण में रखने की शिक्षा दी जाती है| धार्मिक स्वतंत्रता जिसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वर्ग के भीतर आपसी कलह में स्त्रियों के एक समान अधिकार का मुद्दा मौन ही रह जाता है| इस राजनीतिक स्वार्थ और धार्मिक खींचतान में लोकतंत्र की सफलता का एक महत्वपूर्ण मूल्य स्त्री- पुरुष समानता कही खो चुकी है|

References:

उमा चक्रवर्ती (2011), जाति समाज में पितृसत्ता अनुवाद विजय कुमार झा, नई दिल्ली: ग्रंथ शिल्पी तथा नालंदा ग्राफिक्स.

उदय एस. मेहता "कांस्टीटूशनालिस्म", नीरजा गोपाल जयाल वगेरह, (सम्पा.),(2010), द ऑक्सफ़ोर्ड काम्पेनियन टू पोलिटिक्स इन इंडिया, न्यू यॉर्क: ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

एन. के. बनर्जी (1995), ग्रासरूट एम्पावरमेंट(1975-1990),नई दिल्ली: सी.डब्लू.डी.एस ,ऑकेस्नल पेपर नंबर.22

ओ. एन. जौहर (1995),"*रिलीजियस कस्टडीयंस अगेंस्ट यूनिफार्म सिविल कॉड", लीगल न्यूज़ एंड व्यूज*, अक्टूबर. एन. के. बनर्जी (1995), ग्रासरूट एम्पावरमेंट(1975-1990),नई दिल्ली: सी.डब्लू.डी.एस ,ऑकेस्नल पेपर नंबर.22.

जस्टिस लीला सेठ (2005), ए यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड: टूवर्ड्स जेंडर जस्टिस, *विकासनी जर्नल ऑफ़ विमेंस एम्पावरमेंट*, जनवरी-मार्च ,वोल्यूम.20, इश्यू नंबर.1.

टूवर्डस ए नेशनल कोएलिशन फॉर जेंडर जस्टिस (1996), *प्रोसीडिंग्स ऑफ़ द नेशनल वर्कशॉप ऑन जेंडर जस्ट*, बोम्बे : 30 मई – 2 जून.

डॉ. विभूति पटेल "महिलाएं और संपत्ति अधिकार", दिव्या जैन,(सम्पा.),2007, *अन्तरंग संगिनी त्रैमासिक पत्रिका स्त्री के सम्पत्ति अधिकार: मिथ और तथ्य*, मुंबई: पब्लिशर दिव्या जैन इन्स्टा,सितम्बर – दिसंबर,वोल्यूम.14, इश्यु नंबर.36.

डॉ. निशांत सिंह (2008), *महिला विधि*, नई दिल्ली: राधा पब्लिकेशन.

द विमेंस स्टडीज एंड डेवलपमेंट सेंटर, युनिवेर्सिटी ऑफ़ डेल्ही इन कोलबरसन विद सेंटर फॉर विमेंस डेवलपमेंट स्टडीज अट डेल्ही युनिवेर्सिटी. ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क कोंफ्रेंस,(1996), *नेशनल वर्कशॉप ओन जेंडर जस्ट लॉ*, बोम्बे: 7-8, 30-31 मई, 1-2 जून.

निवेदिता मेनन 2012, *सिन लाइक ए फेमिनिस्ट*, नई दिल्ली,पेंगुइन ग्रुप.

पूनम प्रधान सक्सेना (2011), " कोंस्टीटूशनल वैलिडिटी ऑफ़ पर्सनल लॉज़", इंदिरा जयसिंग,*एल्लुसिव इक्वलिटी कोंस्टीटूसनल गरंटीस एंड लीगल रिजिम्स इन साउथ एशिया,मलेशिया एंड चाइना, न्यू* डेल्ही: काली फॉर वीमेन पब्लिकेशन.

पूनम मागु (1996), "द हिन्दू सक्सेसन एक्ट –हैस इट रियली हेल्पड द हिन्दू वीमेन", *लीगल न्यूज़ एंड व्यूज*, अगस्त, वोल्यूम,10 (8).

पोला बनर्जी (2005) राइट्स एंड रिप्रेजेंटेशन डिबेटस ओवर विमेंस ऑटोंनोमी इन इंडिया: 5, ऑनलाइन: उपलब्ध htt://www.mcrg.ac.in

पूनम प्रधान सक्सेना (2011), " कोंस्टीटूशनल वैलिडिटी ऑफ़ पर्सनल लॉज़", इंदिरा जयसिंग,*एल्लुसिव इक्वलिटी कोंस्टीटूसनल गरंटस एंड लीगल रिजिम्स इन साउथ एशिया,मलेशिया एंड चाइना, न्यू* डेल्ही: काली फॉर वीमेन पब्लिकेशन.

ब्रिंदा करात (2008) *भारतीय नारी संघर्ष और मुक्ति*, अनुवाद उषा चोहान,नई दिल्ली ग्रंथ शिल्पी.

बिष्णु एन. मोहपात्रा "मयनोर्टीस एंड पॉलिटिक्स", नीरजा गोपाल जायल एंड प्रताप भानु मेहता,(सम्पा.),(2010), *द ऑक्सफ़ोर्ड कम्पेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया*, न्यू यॉर्क:ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

ब्रिज बिहारी पाण्डेय "अल्पसंख्यकों में प्रतिक्रिया विरोधी आंदोलोनों से उभरेगी समान आचार संहिता", *समकालीन जनमत*, 1-5 अगस्त, 1995.

भारत का संविधान,बयर एक्ट.

मधु किश्वर एंड रूथ वनिता (1990), "इनहेरिटेंस राइट्स फॉर वीमेन: ए रेस्पोंस टू सम कोमंली एक्सप्रेस्ड फियर्स", मानुषी,नंबर 57,मार्च- अप्रैल.

राधा कुमार (2009) स्त्री संघर्ष का इतिहास, 1800-1900. तीसरा संपादन., अनुवाद रमा शंकर सिंह, नई दिल्ली: वाणी पब्लिकेशन.

रीना वर्मा विलियम (2006), *पोस्ट कोलोनियल पॉलिटिक्स एंड पर्सनल लॉज़: कोलोनियल लीगल लेगसिएस एंड द इंडियन स्टेट्स*, न्यू यॉर्क: ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.